डिक्री

यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

0न0 — 190/2024

नवान :

1. मांगेराम पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।

:—वादी

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. मंगलसिंह पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. गुड्डीदेवी पुत्री अमरचन्द पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी झांसल हाल निवासी खासा महाजन तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार।
4. लीलावती पुत्री अमरचन्द पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी झांसल हाल निवासी खासा महाजन तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार।
5. सुमित्रा पुत्री अमरचन्द पत्नी पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी झांसल हाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री नरेन्द्र सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 एएमएस के खाता सं0 2/2 के मु0 न0 69 के किला न0 1/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 1/2 की 0.025है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 2/1 की 0.240है0 नहरी, किला न0 2/2 की 0.013है0 गै0मु0 रास्ता, किला न0 9 की 0.253है0 नहरी, किला न0 10/1 की 0.240है0 नहरी, किला न0 10/2 की 0.013है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी कुल रकबा 2.7830है0 जिसमें से नहरी 2.7320है0, गै0 मु0 रास्ता 0.051है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द अकेले के बजाए वादी मांगेराम, प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द, प्रतिवादी सं0 2 मंगलसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:38:50 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रक०न० - 190/2024

उनवान : -

1. मांगेराम पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी झांसल त० भादरा जिला हनुमानगढ़।

:-वादी

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. मंगलसिह पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. गुड्डीदेवी पुत्री अमरचन्द पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी झांसल हाल निवासी खासा महाजन तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार।
4. लीलावती पुत्री अमरचन्द पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी झांसल हाल निवासी खासा महाजन तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार।
5. सुमित्रा पुत्री अमरचन्द पत्नी पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी झांसल हाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री धर्मपाल बेरवाल वादी
श्री नरेन्द्र सिहाग प्रतिवादी

दिनांकः- 7/2/25

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 5 एएमएस के खाता सं0 2/2 के मु0 न0 69 के किला न0 1/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 1/2 की 0.025है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 2/1 की 0.240है0 नहरी, किला न0 2/2 की 0.013है0 गै0मु0 रास्ता, किला न0 9 की 0.253है0 नहरी, किला न0 10/1 की 0.240है0 नहरी, किला न0 10/2 की 0. 013है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी कुल रकबा 2.7830है0 जिसमें से नहरी 2.7320है0, गै0 मु0 रास्ता 0.051है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने [illegible] के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की [illegible] नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:38:50 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 5 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से जवाब पेश किया गया ।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 5 एएमएस वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से

Kalpit
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

हक हिस्सा निहित है अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष आंशिक स्वीकार किये जाने का निवेदन किया जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 5 एएमएस के खाता सं0 2/2 के मु0 न0 69 के किला न0 1/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 1/2 की 0.025है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 2/1 की 0.240है0 नहरी, किला न0 2/2 की 0.013है0 गै0मु0 रास्ता, किला न0 9 की 0.253है0 नहरी, किला न0 10/1 की 0.240है0 नहरी, किला न0 10/2 की 0.013है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी कुल रकबा 2.7830है0 जिसमें से नहरी 2.7320है0, गै0 मु0 रास्ता 0.051है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने राजीनामा पेश कर उपरोक्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में घोषणा किये जाने पर अनापति जाहिर की। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा चक 5 एएमएस के खाता सं0 2/2 के मु0 न0 69 के किला न0 1/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 1/2 की 0.025है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 2/1 की 0.240है0 नहरी, किला न0 2/2 की 0.013है0 गै0मु0 रास्ता, किला न0 9 की 0.253है0 नहरी, किला न0 10/1 की 0.240है0 नहरी, किला न0 10/2 की 0.013है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी कुल रकबा 2.7830है0 जिसमें से नहरी 2.7320है0, गै0 मु0 रास्ता 0.051है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द अकेले के बजाए वादी मांगेराम, प्रतिवादी सं0 1 अमरचन्द, प्रतिवादी सं0 2 मंगलसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7/2/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:38:50 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़